सौरभ वगै0 बनाम रमेशचन्द वगै0 (प्रा.पत्र)
मु.नं. 20/2024

दिनांक 11.12.2024

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खोहरी तहसील महवा की आराजी खसरा नं. 403 व 404 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हैक्टेयर प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जो दादा/बाबा रमेश चंद पुत्र भग्गूलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में 1/2 हिस्सा दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी अप्रार्थी 1 के पौत्र व पौत्री है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 बेईमान एवं आपराधिक किस्म के झगडालू व्यक्ति है जो उक्त विवादित आराजी को अपने नवासा आदित्य को रहन व्यय कर खुर्द–बुर्द करने की आये दिन प्रार्थीगण को धमकी देता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 75 साल का वृद्ध व्यक्ति है जिसे आदित्य ने बहला फुसलाकर अपने नाम जमीन कराने की धमकियां देता रहता है। दिनांक 19.02.2024 का वाक्या है कि प्रार्थीयान अपने गांव मुंबई से आये और अप्रार्थी संख्या 1 से मिलने गांव गये तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि हम सभी विवादग्रस्त भूमि को देखने जा रहे है तो अप्रार्थी संख्या 1 व उसका नवासा आदित्य ने बुरी–बुरी गांलिया दी और कहने लगे कि अब तुम्हें विवादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नही देंगे तथा इस जमीन को बेचकर खुर्द–बुर्द कर दूंगा तुम मेरा कुछ भी नही बिगाड सकते। यदि अप्रार्थी अपनी उक्त नापाक धमकियों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी आया है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से श्री भुवनेश त्रिवेदी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद तामिल के उपस्थित नही आये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी नं. 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाव पेश किया गया। जबाव में अंकित किया कि विवादित भूमि को देवीसहाय पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खोहरी तहसील महवा जिला दौसा से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख उपपंजीयक महवा जिला दौसा दिनांक 11.06.1973 को क्रय किया था। अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है सायल का भूमि से कोई संबंध नही है। भूमि का अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है व अप्रार्थी का मौके पर कब्जा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय विलेख उपपंजीयक महवा जिला दौसा दिनांक 11.06.1973 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 01 की स्वअर्जित भूमि है जिसे देवीसहाय पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खोहरी तहसील महवा जिला दौसा से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख उपपंजीयक महवा जिला दौसा दिनांक 11.06.1973 को क्रय किया था। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो अप्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन, अपूरनीय क्षति अप्रार्थी के हक में साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने में असफल रहे है इसलिये इनका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नं. 403 व 404 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हैक्टेयर वाके ग्राम खोहरी तहसील महवा प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा